छत्तीसगढ़ में जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू, 15 दिन में 6 की मौत, 29 पॉजिटिव

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा हो गया है. बीते 24 घंटे के दौरान स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई. मनेंद्रगढ़ में 41 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. वहीं राजनांदगांव में 37 साल के युवक की मौत हो गई. बता दें कि अगस्त महीने में प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक हफ्ते में 29 पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 26 सिर्फ बिलासपुर जिले के हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत 9 अगस्त, 2024 को कोरिया जिले में एक महिला की हुई थी. इसके एक दिन बाद यानी 10 अगस्त को जांजगीर-चांपा जिले में स्वाइन फ्लू से मौत के मामले सामने आए थे. यहां 66 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी.

बिलासपुर में एक हफ्ते में मिले 26 स्वाइन फ्लू के मरीज

छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 29 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 26 केवल बिलासपुर के हैं, जिनमें से 14 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है. सर्दी, खांसी और कफ के साथ तेज बुखार रहने पर स्वाइन फ्लू टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

15 दिन में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत

9 अगस्त को कोरिया जिले की 51 साल की महिला की मौत हो गई थी.

इसके बाद 10 अगस्त को जांजगीर-चांपा जिले की 66 साल की महिला की जान चली गई थी.

11 अगस्त को बिलासपुर जिले में एक महिला की मौत हो गई थी.

फिर एक दिन बाद 13 अगस्त को राजनांदगांव में 4 साल की बच्ची जान चली गई.

20 अगस्त को मनेंद्रगढ़ में 41 साल के एक युवक की मौत हो गई.

21 अगस्त को राजनांदगांव में एक युवक की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई.

क्या है स्वाइन फ्लू?-

स्वाइन फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है, जो सूअरों से मनुष्यों में फैलता है.नियमित इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू के लक्षण बहुत मिलते-जुलते हैं. गर्मी और मानसून के मौसम में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं. स्वाइन फ्लू ॥।ह॥। इन्फ्लूएंजा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है. जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो बूंदें हवा में चली जाती हैं. वहीं जब दूसरे इंसान सांस के माध्यम से वायरस को अंदर ले लेता हैं, तो उसे भी यह संक्रमण हो सकता है. इसके अलावा जब आप किसी दूषित सतह को छूते हैं और फिर अपने मुंह, नाक या आँखों को छूते हैं, तो भी आपको संक्रमण हो सकता है.

स्वाइन फ्लू के लक्षण-

बुखार आना, सिरदर्द होना, खांसी आना, छींक आना, ठंड लगना, डायरिया होना, गले में खराश होना, थकान, नासिका मार्ग ब्लॉक होना

किन लोगों को स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा है

गर्भवती महिलाएं

हृदय रोग के मरीज

डायबिटीज के मरीज

65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और 2 साल से छोटे बच्चे को स्वाइन फ्लू से खतरा बढ़ जाता है.

स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखे तो तत्काल इन नम्बरो पर काल करे

स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन-फ्लू सहित मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को सजग रहने और पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहकर अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से संबंधित जानकारी और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं. ये नम्बर दिन-रात चालू रहेंगे. स्वाइन फ्लू के लक्षण की जरा भी आशंका होने पर इन नम्बरों पर संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है.

बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने सभी स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वाइन-फ्लू के जरा भी लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर इसकी जांच और उपचार करवाएं. यह स्वाइन-फ्लू सहित मौसमी बीमारियों के संक्रमण का अनुकूल मौसम है. स्वाइन-फ्लू का वायरस तेजी से हवा में फैलता है. किसी भी तरह की सहायता के लिए सिम्स के हेल्पलाइन नम्बर 75874-85907, जिला अस्पताल में 07752-480251, अपोलो अस्पताल में 97555-50834 और स्वास्थ्य विभाग के टोल-फ्री नम्बर 104 पर संपर्क किया जा सकता है.

महत्वपूर्ण एवं खास

सारंगढ़ में 27 अगस्त को जिला पंचायत संसाधन केंद्र नवीन भवन का होगा लोकार्पण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में शीघ्र ही जिला पंचायत का गठन भी हो जायेगा, जिसका अधिसूचना प्रकाशन जारी हो चुका है। यह खुशी की बात है कि जिला पंचायत के अस्तित्व में आने के पूर्व स्वयं का भवन तैयार हो गया है,जिसका जिला पंचायत संसाधन केंद्र नवीन भवन सारंगढ़ का लोकार्पण होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओपी चौधरी मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन वित्त वाणिज्य कर , आवास एवं पर्यावरण योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा एवं विधायक सारंगढ़ उत्तरी जांगड़े की गरिमामय उपस्थिति में खेलभाठा मैदान कार्यक्रम स्थल सारंगढ़ में 27 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे होने जा रहा है।

स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितम्बर तक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र, शिक्षक एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी होगी। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शालाओं व शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़े के पहले दिन 1 सितम्बर को स्वच्छता शपथ दिवस, 2 व 3 सितम्बर को स्वच्छता जागरूकता दिवस, 4 व 5 सितम्बर को समुदायिक पहुंच दिवस, 6 सितम्बर को हरित शाला पहल दिवस, 7 व 8 सितम्बर को स्वच्छता सहभागिता दिवस, 9 व 10 सितम्बर को हाथ धुलाई दिवस, 11 सितम्बर को व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस, 12 सितम्बर को स्वच्छता स्कूल प्रदर्शनी दिवस, 13 व 14 सितम्बर को स्वच्छता कार्यवाही दिवस दिवस एवं 15 सितम्बर को पुरस्कार वितरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

इंजीनियरिंग डिप्लोमा पढ़ाई हेतु 28 से 31 अगस्त तक होगा द्वितीय चरण का ऑनलाईन कॉउसिलिंग

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के सत्र 2024-25 में इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउसिलिंग की पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। पंजीयन प्रक्रिया का द्वितीय चरण 28 से 31 अगस्त 2024 तक होगा। ऑनलाईन कॉउसिलिंग का पंजीयन, संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन आदि का अवलोकन वेबसाइट सीजी डीटीई रायपुर डॉट सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है।

राजिम के पुन्नी मेला का नाम बदला

रायपुर (आरएनएस)। राजिम में पुन्नी मेला का नाम फिर बदल दिया गया है। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया था। संशोधन विधेयक राज्यपाल रमेन डेका ने मंजूरी दे दी है। बदले हुए नाम का गजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब मेले को राजिम कुंभ (कल्प) का नाम दिया गया है। बता दें कि राजिम में लगने वाले मेले का नाम रमन सरकार में राजिम कुंभ मेला हुआ करता था, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजिम पुन्नी मेला कर दिया था। वर्तमान सरकार ने फिर इस मेला का नाम बदलने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया था, जो पारित किया गया था। अब इसे राज्यपाल रमेन डेका ने मंजूरी दे दी है। राजिम पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ (कल्प) मेला नाम से जाना जाएगा। सरकारी कामकाज में इसे अब कुंभ (कल्प) मेला नाम से प्रतिस्थापित किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई व्यापम की प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीशियन की परीक्षा

❒ दो पालियों में परीक्षा की गई थी आयोजित

रायगढ़

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 25 अगस्त 2024 को दो पाली में प्रात: 10 से दोपहर 12.15 बजे तक प्रयोगशाला सहायक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक प्रयोगशाला तकनीशियन के लिये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़ जिले में सुबह की पाली में 21 परीक्षा केंद्र प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के लिये एवं शाम की पाली में 17 परीक्षा केंद्र प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा के लिये बनाये गये थे। उपरोक्त परीक्षाओं में जिले में सुबह की पाली हेतु निर्धारित 21 परीक्षा केंद्रों में कुल 6223 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2550 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 3673 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह शाम की पाली में निर्धारित 17 परीक्षा केंद्रों में कुल 4767 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमे 1850 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 2917 प्रशिक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उपरोक्त परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा महेश शर्मा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ को नोडल अधिकारी एवं भुवनेश्वर पटेल एपीसी,समग्र शिक्षा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया था। साथ ही दोनो पालियों में सभी केंद्रों में सतत निगरानी के लिये सभी परीक्षा केंद्रों में जिला प्रशासन की ओर से एव समन्वयक संस्था की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण के लिये नरेंद्र कुमार चौधरी जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा एवं शैलेन्द्र कुमार कर्ण प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायकेरा के नेतृत्व में गठित 03 सदस्यीय उड़नदस्ता दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया।

कटंगडीह जंगल में घरघोड़ा पुलिस ने की जुआ रेड कार्रवाई

जुआ खेलते 6 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, 1.24 लाख रुनए नगद बरामद

❒ जुआरियों पर जुआ एक्ट के साथ प्रतिबंधक कार्यवाही

रायगढ़

दिनांक 24.08.2024 को घरघोड़ा टीआई अमित कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कटंगडीह के जंगल में मेन रोड किनारे कुछ लोग हार-जीत के नाम पर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टीआई अमित कुमार तिवारी ने हमराह स्टाफ और गवाहों के साथ ग्राम कटंगडीह की ओर रवाना होकर घेराबंदी की। पुलिस को देख कुछ जुआरी भागने में सफल

रहे, जबकि 6 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. रब्बुल खान (उम्र 32 वर्ष), निवासी झरियापाली
2. राजेश महंत (उम्र 31 वर्ष), निवासी चारभांठा
3. शाहिद खान (उम्र 32 वर्ष), निवासी झरियापाली
4. मनोज अग्रवाल (उम्र 44 वर्ष), निवासी नवापारा टेण्डा
5. प्रकाश पटेल (उम्र 33 वर्ष), निवासी भेंगारी
6. कैलाश अग्रवाल (उम्र 49 वर्ष), निवासी नवापारा टेण्डा

पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल रु.1,24,940 नगद, 52 पत्तों की ताश, और एक चटाई बरामद की। आरोपियों के खिलाफ धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया और उनके खिलाफ पृथक से धारा 170/126,135(3) BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

इस रेड कार्रवाई में घरघोड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार तिवारी के साथ सहायक उप निरीक्षक राम सजीवन वर्मा, आरक्षक किशोर कुमार राठौर, राजेश कुमार राठौर, चंद्रशेखर चंद्राकर, भानु प्रताप चंद्रा, और दीप रोशन एक्का शामिल थे।

3 साल से फरार धोखाधड़ी के आरोपी को कोतरा रोड पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़

कोतरारोड़ पुलिस ने धोखाधड़ी मामले के फरार आरोपी मालिक राम पटेल निवासी जोरापाली को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 3 साल से गिरफ्तारी से बचने के लिए लुक छिपा रहा था।

मामले की पृष्ठभूमि :

आवेदक तोषराम पटेल (उम्र 46 वर्ष) निवासी हीरापुर ने अपने ममेरे भाई मालिक राम पटेल (उम्र 38 वर्ष) निवासी जोरापाली, थाना कोतरारोड़ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। तोषराम ने बताया कि उसने अपनी पैशन प्रो मोटर सायकल (क्रमांक CG13 SA 1971) का बीमा कराने के लिए आरसी बुक की छायाप्रति मालिकराम को दिया था, मालिकराम ने छलपूर्वक तोषराम के

बाइक नंबर का उपयोग एक चोरी की मोटर सायकल में नंबर प्लेट लगाकर किया। मालिक राम ने अपने परिचित इन्दर उरांव को अपनी मोटरसाइकिल चलाने दी थी, इसी मोटर सायकल से इन्दर उरांव नामक व्यक्ति ने 01.01.2021 को एक दुर्घटना की, जिसमें तोरण कुमार खड़िया की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपित इंदर उरांव के पर अपराध पंजीबद्ध किया, वाहन स्वामी मालिक राम पटेल ने वाहन के कागजात गुम हो जाना बताया था। कोतरारोड़ पुलिस ने इंदर उरांव और मालिकराम को एक्सीडेंट के अपराध में चालानी कार्यवाही की।

शिकायत जांच में पता चला कि मोटर सायकल पर लगी नंबर प्लेट गलत थी और मालिक राम ने धोखाधड़ी कर यह नंबर इस्तेमाल किया। शिकायत जांच में 27 अप्रैल 2022 को कोतरारोड़ थाने में मालिक राम पटेल के खिलाफ अपराध क्रमांक 113/2022 धारा 420, 417, 467, 468, 471, 414 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।

फरार आरोपी की गिरफ्तारी :

मामला दर्ज होते ही आरोपी मालिकराम पटेल फरार हो गया था। थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया। बीते दिनों सूचना मिली कि मालिक राम पटेल त्यौहार मनाने गांव आया है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी मालिक राम पटेल ने अपराध स्वीकार कर लिया है, और आज शाम उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल की दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन पर आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, उपनिरीक्षक जे. एक्का, आरक्षक चंद्रेश पांडे, घनश्याम सिदार और प्रवीण राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ड्रिंक एंड ड्राइव: तीन ट्रेलर चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना

रायगढ़

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर पुलिस द्वारा तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 23/08/2024 को घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग पर

कंचनपुर चौक के पास घरघोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन ट्रेलर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा, जिनके विरुद्ध कल इस्तगाशा धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायाधीश चंद्रकला देवी साहू ने तीनों चालकों पर रु.10,000-रु.10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

ट्रेलर वाहन चालकों के नाम और पते:

1. खेमसागर यादव (पिता: घनश्याम यादव, उम्र: 22 वर्ष), निवासी सोनपुर, थाना लैलूंगा
2. भरत कुमार (पिता: स्वर्गीय नान्हू सिंह, उम्र: 32 वर्ष), निवासी कोलसईया, थाना बोधी विद्या, बिहार
3. लोकेश यादव (पिता: चकानंद यादव, उम्र: 24 वर्ष), निवासी सोनपुर, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़

खरसिया पुलिस की अवैध शराब पर छापेमार कार्रवाई

ग्राम चारपारा में 10.5 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपित गिरफ्तार, शराब बनाने की सामग्री भी जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवं एसडीओपी प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए दिनांक 25.08.2024 को थाना प्रभारी खरसिया कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में खरसिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम चारपारा में दबिश दी गई।

दबिश के दौरान आरोपी चन्द्रशेखर लहरे पिता पुनीराम लहरे, उम्र 44 वर्ष, निवासी चारपारा, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ के घर से 10.500 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने के बर्तन,

तवेला डेकची स्टील का ढक्कन सहित 2100/- रुपये की संपत्ति जप्त की गई है। साथ ही, आरोपी के घर में मिले 20-25 डिब्बा महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

आरोपी के विरुद्ध थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 488/24 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस छापामार कार्रवाई में थाना प्रभारी खरसिया कुमार गौरव साहू के हमराह सउनि उमाशंकर धृतलहरे, प्रआर 584 बिरिछ राम सांडे, आर 55 सत्यनारायण सिदार, आर 875 रमेश बरेठ, आर 767 योगेन्द्र सिंह सिदार, और आर 490 पवन जाटवर का विशेष योगदान रहा।

जिले के 2932 लखपति दीदियों को किया गया प्रमाण-पत्र वितरित

❒ लखपति दीदी योजना से महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर एवं सशक्त

❒ 28 क्लस्टर और 400 से अधिक ग्राम संगठन में आयोजित हुआ लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम

❒ पीएम के लाईव कार्यक्रम को बड़ी संख्या में देखी महिलाओं ने

रायगढ़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाखों लखपति दीदियों को प्रमाण-पत्र दिए।

इसके साथ ही उन्होंने स्व-सहायता समूहों को लोन भी जारी किया। जिससे देश भर के लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद होगी।

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाईव कार्यक्रम का आयोजन बिहान द्वारा गठित सभी 28 क्लस्टर और 400 से अधिक ग्राम संगठन में किया गया। जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रोजेक्टर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से उनके लाइव प्रसारण को देखा। इस दौरान लखपति महिला पहल अंतर्गत 2932 लखपति दीदियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत केडर महिलाओं और जो महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ गई हैं या आने वाली हैं उनको प्रमाण पत्र संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से दिया गया। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत बिहान योजना की ऐसे ग्रामीण महिलाएं जो समूह से जुड़ी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से अधिक हैं उसको इस श्रेणी में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि लखपति दीदी योजना खास तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के द्वारा महिलाओं की आय में बढ़ोत्तरी के लिए लोन दिया जाता है। इसके साथ ही ट्रेनिंग, टेक्निकल मार्गदर्शन एवं उत्पादों की भी मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। रायगढ़ ब्लॉक में पीएम की फ्लेगशिप योजना लखपति पहल के तहत दीदी लोगों की प्रति तिमाही आजीविका रजिस्टर की एंट्री की जा रही हैं और उनके आय का ब्यौरा डिजिटल रजिस्टर के माध्यम से रखा जाता है। एंट्री हेतु लखपति सीआरपी का चयन हर ग्राम पंचायत में किया गया है। जिस दीदी की आय कम है उनका दूसरे विभाग से अभिसरण करके या उनको प्रशिक्षण दिलाकर उनके आय में वृद्धि करने सहयोग किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में सभी 28 संकुल स्तरीय संगठन में पदाधिकारी दीदी द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण लखपति पहल की दीदियों को किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी सीआरपी के पदाधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़ के स्टॉफ, प्रदान संस्था, पीआरपीके मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480